डॉ. बी. राजेन्दर
भा० प्र० से०
अपर मिशन निदेशक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

J.S. (Sri Chand)
3761

पत्रांक-वि0प्र0सु0मि0सो0 बैठक-02/2011 सो...429... दिनांक ...23/06/2011...

सेवा में,

प्रधान सचिव,,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकार के स्तर से लैपटॉप उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:- दिनांक 14.06.11 को आयोजित शासी परिषद की कार्यवाही प्रस्ताव संख्या 2

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संदर्भ में कहना है कि वर्त्तमान युग में तेजी से विकास, सूचनाओं का संकलन, संग्रह एवं संप्रेषण के लिए तकनीकि के इस्तेमाल की आवश्यकता के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मिशन की राशि से सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकार के स्तर से लैपटॉप उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर शासी परिषद द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. पदाधिकारी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2011 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. पदाधिकारी को DOEACC द्वारा आयोजित न्यूनतम BCC का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु कम्प्यूटर अथवा आई.टी. के क्षेत्र में पूर्व से उपाधि धारण करने वाले पदाधिकारियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
3. लैपटॉप के अपग्रेड करने एवं रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारी की होगी। इसका उपयोग पूर्णकालिक तौर पर सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु सेवा अवधि में सेवा मुक्त होने अथवा पदत्याग करने पर इसे मिशन कार्यालय में जमा करना होगा।
4. लैपटॉप का क्रय सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप स्वयं किया जायेगा एवं इसके क्रय के अभिश्रव के प्रस्तूत करने एवं सत्यापन के पश्चात उन्हें राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।
5. लैपटॉप के क्रय हेतु अधिकतम सीमा ₹60000.00(साठ हजार) होगी, जिसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर का मूल्य शामिल होगा। इससे अतिरिक्त लागत होने पर शेष राशि का वहन संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु संबंधित को निदेश देने कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

BRajender 22.6.2011
(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मिशन निदेशक

12834(S)
29.6.11